प्रारंभिक परीक्षा

लघु भाषा मॉडल का उदय

संदर्भ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) में हाल की प्रगति ने बड़े मॉडलों के स्थान पर लघु, अधिक कुशल मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में बदलाव देखा है।

लघु भाषा मॉडल (SLM) के बारे में -

- **SLM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस(AI) मॉडल हैं जो मानव भाषा को संसाधित, समझ और उत्पन्न कर सकते हैं।**
- **SLM एक न्यूरल नेटवर्क-आधारित वास्तुकला पर भी काम करते हैं जिसे ट्रांसफार्मर मॉडल के रूप में जाना जाता है।**
- SLM सस्ते हैं, प्रशिक्षित करने में तेज़ हैं और LLM की तुलना में कम कम्प्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **SLM के लाभ:**
  - **सटीकता:** SLM, LLM की तुलना में उच्च गुणवत्ता और अधिक सटीक परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
  - **निजता:** SLM क्लाउड पर डेटा भेजे बिना स्थानीय स्तर पर कार्य कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट पूर्वानुमान, वॉइस कमांड्स और अनुवाद(translation)।
  - **विशेषज्ञता**: SLM को LLM के व्यापक सामान्य खुफिया लक्ष्यों के बजाय विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **स्थायित्व:** SLM में ऊर्जा की खपत कम होती है, जो बेहतर स्थायित्व में योगदान देती है।
  - **डिवाइस पर कार्यक्षमता**: एप्पल इंटेलिजेंस SLM को iPhones और iPads में एकीकृत करता है, तथा डिवाइस की सीमाओं के साथ प्रदर्शन को संतुलित करता है।
- **SLM की सीमाएँ:**
  - **जटिल कार्यों में निम्न प्रदर्शन**:
    - SLM कोडिंग, तार्किक तर्क और जटिल समस्याओं को सुलझाने जैसे मानदंडों के साथ संघर्ष करते हैं।
    - वे अभी भी व्यापक सामान्य बुद्धिमत्ता की आवश्यकता वाली चुनौतियों का समाधान करने में LLM की बराबरी नहीं कर सकते हैं।
  - **तथ्यात्मक सटीकता:** SLM अधिक तथ्यात्मक ज्ञान संग्रहीत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिससे तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हो सकती हैं।
- **उद्योग जगत द्वारा अपनाना**:
  - Google DeepMind ने जेमिनी अल्ट्रा, नैनो और फ़्लैश मॉडल जारी किए।
  - OpenAI ने GPT-4o मिनी लॉन्च किया, और मेटा ने लामा 3 मॉडल पेश किया।
  - अमेज़ॅन समर्थित एंथ्रोपिक एआई ने क्लाउड 3 और हाइकू जारी किया।
  - **भारतीय पहल**: विश्वम (IIIT हैदराबाद) और सर्वम एआई।

स्रोत: [The Hindu - What is different about small language models?]

कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम(Combat Air Teaming System)

संदर्भ

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के पूर्ण पैमाने के प्रदर्शन के लिए इंजन ग्राउंड रन का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम (CATS) के बारे में -

- **CATS एक अर्ध-स्वायत्त, भविष्योन्मुखी युद्ध प्रणाली है जिसे लड़ाकू विमानों के सहयोग से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- इस प्रणाली में एक मानवयुक्त लड़ाकू विमान शामिल होता है जो **"मदरशिप" के रूप में कार्य करता है**, तथा मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) और मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहनों (UCAVs) का एक समूह होता है, जिन्हें मदरशिप द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

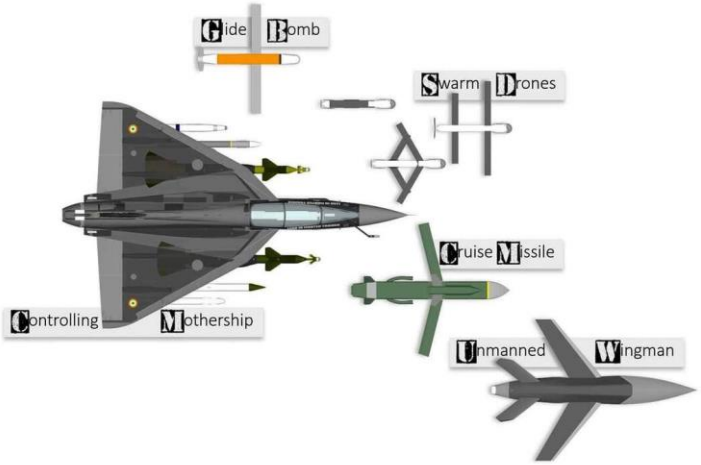

- **इसे राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं (NAL), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के सहयोग से विकसित किया गया है।**
- **घटक:** CATS वॉरियर, CATS हंटर, CATS अल्फा-एस और CATS इनफिनिटी, सभी की अलग-अलग विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
  - **CATS वॉरियर:** एक अर्ध-स्वायत्त ड्रोन जो मानवयुक्त लड़ाकू जेट के साथ काम करने में सक्षम है।
  - **CATS हंटर:** यह एक क्रूज मिसाइल है जिसे मदर शिप द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, जो विवादित हवाई क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश कर सटीक हमला करने में सक्षम है।
  - **CATS अल्फा-एस:** एक ग्लाइडर प्रणाली जिसे क्वाडकॉप्टर ड्रोनों (4 से 20 तक) के स्वार्म ड्रोन को दुश्मन के इलाके में, अग्रिम पंक्ति से 50-100 किमी दूर तक ले जाने और छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **CATS इन्फिनिटी:** एक उच्च ऊंचाई वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला यूएवी जिसे विस्तारित खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ~70,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित, यह 2-3 महीने तक हवा में रह सकता है, जिससे उपग्रह जैसी कवरेज मिलती है।
- **विश्व भर में समान प्रणालियाँ:**
  - **बोइंग लॉयल विंगमैन:** रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स।
  - **स्काईबॉर्ग (USAF):** संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वायत्त विंगमैन कार्यक्रम।

स्रोत: [The Hindu - HAL's latest Combat Air Teaming System]

हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य

संदर्भ

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड(NBWL) की स्थायी समिति ने हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

हूलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य(WLS) के बारे में -

- **यह असम के जोरहाट में स्थित सदाबहार वन का एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है।**
- **इसे 1997 में वन्यजीव अभयारण्य(WLS) का दर्जा दिया गया। यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है।**
- **नदी: भोगदोई नदी (ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी)** अभयारण्य की सीमा पर जलभराव वाला क्षेत्र बनाती है
- **वनस्पति:** होलोंग वृक्ष, नाहर वृक्ष (कोबरा का केसर) के साथ-साथ सदाबहार झाड़ियाँ और जड़ी-बूटियाँ।
- **जीव-जंतु:**
    - इसमें **भारत के एकमात्र गिब्बन - हूलॉक गिब्बन** और **पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट - बंगाल स्लो लोरिस शामिल हैं।**
    - **अन्य पाई जाने वाली प्रजातियाँ:** हाथी, बाघ, तेंदुए, स्टंप-टेल्ड मैकाक, उत्तरी सुअर-टेल्ड मैकाक आदि।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)

- **गठन: 2003 में (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वैधानिक निकाय)**
- **संघटन:**
    - **अध्यक्ष:** भारत के प्रधानमंत्री
    - **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
    - **सदस्य - 47** (संसद सदस्य (3)**:** 2 लोकसभा + 1 राज्यसभा **)**
- **NBWL की स्थायी समिति:**
    - **अध्यक्ष:** केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
    - इसकी बैठक हर तीन महीने में होती है।
- **राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है।**

स्रोत: [The Hindu - oil and gas exploratory drilling in Assam sanctuary]

विश्व की मीठे पानी की प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हैं

संदर्भ

नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया की मीठे पानी की लगभग 24% प्रजातियाँ विलुप्त होने के खतरे में हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष -

- **संचालनकर्ता:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)।
- **मूल्यांकित प्रजातियाँ**: 23,496 मीठे जल की प्रजातियाँ, जिनमें शामिल हैं: मछली, क्रस्टेशियन (जैसे, केकड़े और झींगा) और कीड़े (जैसे, ड्रैगनफ़्लाई और डैमसेल्फ़लाई)।
- **विलुप्त होने का खतरा**
  - **कुल संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** मीठे पानी की 24% प्रजातियों के विलुप्त होने का गंभीर खतरा है।
  - **जोखिमग्रस्त विशिष्ट समूह:** 30% क्रस्टेशियन, 26% मछली प्रजातियाँ और 16% ओडोनेट्स।
- **विलुप्तीकरण एवं आवास क्षति:**
  - **पहले से ही विलुप्त:** लगभग 90 मीठे जल की प्रजातियाँ।
  - **आवास में कमी:** झीलों, नदियों और आर्द्रभूमि जैसे मीठे पानी के आवासों में 1970 के बाद से एक तिहाई से अधिक की कमी आई है।
- **जैव विविधता के खतरे वाले क्षेत्र:**
  - **विक्टोरिया झील (अफ्रीका)**: प्रदूषण और नील पर्च जैसी आक्रामक प्रजातियों से खतरा।
  - **टिटिकाका झील (दक्षिण अमेरिका)**: यहां भी अत्यधिक मछली पकड़ने और आवास क्षरण सहित समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मीठे पानी की प्रजातियों के लिए प्रमुख खतरे

- **प्रदूषण:** जल की गुणवत्ता को ख़राब करता है और प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रभाव डालता है।
- **बांध और जल निकासी**: पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं और आवास की उपलब्धता को कम करते हैं।
- **कृषि**: जल निकायों के अपवाह और सुपोषण को बढ़ावा देती है।
- **आक्रामक प्रजातियाँ**: नील पर्च विक्टोरिया झील में देशी प्रजातियों के लिए खतरा बन रही है।
- **अत्यधिक मछली पकड़ना:** इससे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण मछलियों की आबादी में कमी आती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ(IUCN) के बारे में -

- **इसकी स्थापना 1948 में फॉनटेनब्लियू, फ्रांस में हुई थी।**
- इसे पहले (1948-1956) से 'प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ' (IUPN) और विश्व संरक्षण संघ (1990-2008) कहा जाता था।
- **सदस्यता:** इसमें सरकारी और नागरिक समाज दोनों संगठन शामिल हैं
- **मुख्यालय:** ग्लैंड (स्विट्जरलैंड)
- **कार्य:**
  - यह वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है।
  - इसने **1964 में संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची(Red List) स्थापित की।**

स्रोत: IUCN - One quarter of freshwater animals at risk of extinction
The Hindu - Big Shot

जंगली आग पर नियंत्रण हेतु पिंक फायर रिटारडेंट

संदर्भ

दक्षिणी कैलिफोर्निया में अधिकारियों ने आग को फैलने से रोकने के लिए विमान के माध्यम से पिंक फायर रिटारडेंट पदार्थ का प्रयोग किया है।

पिंक फायर रिटारडेंट(Pink Fire Retardant) क्या है?

- **यह एक अग्निरोधी एक रासायनिक मिश्रण है, जिसे वनस्पतियों पर कोटिंग करके तथा ऑक्सीजन को आग में ईंधन बनने से रोककर जंगली आग को बुझाने या धीमा करने के लिए तैयार किया गया है।**
- अमेरिका में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रांड फॉस-चेक है, जिसमें मुख्य रूप से अमोनियम फॉस्फेट-आधारित घोल होता है।
- यह पानी की तुलना में अधिक टिकाऊ है, क्योंकि यह जल्दी वाष्पित नहीं होता है तथा लम्बे समय तक अपने स्थान पर बना रहता है।
- **रंग और दृश्यता:** परिदृश्य के विरुद्ध दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए एक चमकीला गुलाबी रंग जोड़ा जाता है, जिससे अग्निशमन कर्मियों को अग्निरोधी पदार्थ से उपचारित क्षेत्रों की पहचान करने और अग्नि रेखाएँ बनाने में मदद मिलती है।
- आग लगने से पहले वनस्पति पर अग्निरोधी पदार्थ का छिड़काव किया जाता है, ताकि उसकी ज्वलनशीलता कम हो सके।

अग्निरोधी पदार्थ से संबंधित चिंताएं

- **पर्यावरणीय प्रभाव**
  - दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूएससी) द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि फॉस-चेक क्रोमियम और कैडमियम सहित जहरीली धातुओं से भरा हुआ है।
  - ये धातुएं मनुष्यों में कैंसर तथा गुर्दे और यकृत की बीमारियों से जुड़ी हैं तथा जलमार्गों में प्रवेश करने पर जलीय जीवन के लिए हानिकारक हैं।
- **जल प्रदूषण**
  - नदियों और झरनों में प्रवेश करने वाले अवरोधक एक बड़ी चिंता का विषय हैं, क्योंकि वे जलीय प्रजातियों को मार सकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं।
- **प्रभावशीलता पर बहस**
  - वन सेवा वैज्ञानिकों के अनुसार, अवरोधकों की प्रभावशीलता पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जैसे:
    - भूभाग और ढलान
    - ईंधन का प्रकार और मौसम की स्थिति
- **लागत और पैमाना:**
  - आलोचकों के अनुसार, यह विधि महंगी है और जंगल की आग से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है।

स्रोत: [Indian Express - What is pink fire retardant, being used to curb California wildfires]

प्रजनन स्तर में गिरावट से केरल के मातृ मृत्यु अनुपात में वृद्धि हुई है

संदर्भ

केरल अपने मातृ मृत्यु अनुपात (**MMR**) में वृद्धि का सामना कर रहा है।

केरल के मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) के बारे में -

- **मातृ मृत्यु दर**: यह प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है।
- **वर्तमान MMR:** प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 19 **(भारत में सबसे कम)।**
- **स्वास्थ्य विभाग का अनुमान (2024-25):** MMR बढ़कर 32 हो गई है
- यह वृद्धि मातृ मृत्यु में वास्तविक वृद्धि के कारण नहीं बल्कि प्रसव में कमी के कारण है।
- **प्रजनन दर में गिरावट:**
    - केरल की प्रजनन दर तीन दशकों से कम हो रही है।
    - 1991 में, प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली गई (प्रति महिला 2.1 बच्चे)
    - 2020 में, कुल प्रजनन दर (TFR) गिरकर 1.5 हो गई और वर्तमान में 1.46 है, यानी केरल में ज्यादातर जोड़ों के एक या कोई बच्चा नहीं है।

जन्म दर में गिरावट के पीछे प्रमुख कारक

- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** विवाह और संतानोत्पत्ति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण विवाह में देरी हो रही है, प्रजनन दर कम हो रही है, तथा कुछ दम्पति बच्चे पैदा न करने का विकल्प चुन रहे हैं।
    - **केरल 1991 में प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता से नीचे पहुंचने वाला पहला भारतीय राज्य था।**
- **प्रवासन और कार्यबल हानि**: प्रजनन आयु वर्ग के व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश प्रवास करता है, और अक्सर वहीं स्थायी रूप से बस जाता है।
- **वृद्ध जनसंख्या**: एक दशक के भीतर केरल में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बाल जनसंख्या से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
- **विलंबित प्रसव:** अधिक उम्र की माताओं को गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम और रुग्णता का सामना करना पड़ता है, जिससे मातृ मृत्यु दर में और वृद्धि होती है।

स्रोत: **The Hindu - Declining fertility levels**

समाचार में स्थान

केर्च जलडमरूमध्य

- हाल ही में हजारों टन तेल उत्पाद ले जा रहा एक रूसी तेल टैंकर भारी तूफान के दौरान टूट गया, जिससे केर्च जलडमरूमध्य में तेल रिसाव हो गया।
- रूस ने अपने क्रास्नोडार क्षेत्र में तेल रिसाव की सफाई प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

तथ्य

- **जलडमरूमध्य दो भूमि टुकड़ों के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है।**
- **आज़ोव सागर:** यह पूर्वी यूरोप में एक अंतर्देशीय सागर है। यह रूस और यूक्रेन से घिरा हुआ है।
- **काला सागर से सटे देश:** तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और रोमानिया।
  (याद रखने की ट्रिक - T-BURGeR)

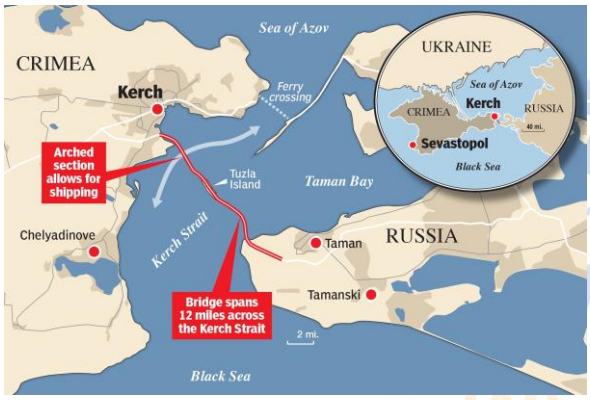

- **यह पूर्वी यूरोप में स्थित है और एकमात्र जल निकाय है जो काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है।**
- यह केर्च प्रायद्वीप (क्रीमिया) को तमन प्रायद्वीप (रूस) से अलग करता है।
- यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है और 2014 में मॉस्को द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्ज़ा करने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का एक प्रमुख बिंदु भी है।
- **केर्च स्ट्रेट ब्रिज:** इसे क्रीमियन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया से जोड़ता है।

स्रोत: Indian Express

समाचार संक्षेप में

आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति

- **हाल ही में, भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति (UN-CEBD) में शामिल हो गया है।**
- **उत्पत्ति:** 2014 में, ऑस्ट्रेलिया इसका प्रथम अध्यक्ष बना।
- **सदस्यता:** 31 सदस्य देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन **(भारत सहित)।**
- **कार्य:**
  - आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा पर एक वैश्विक कार्यक्रम के लिए रणनीतिक दृष्टि, दिशा और समन्वय प्रदान करना।
  - कई चुनौतियों (पद्धतिगत, कानूनी, सुरक्षा) के लिए समाधान ढूंढते हुए, बिग डेटा स्रोतों के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देना।
  - क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना और नीति अनुप्रयोगों के लिए बिग डेटा के उपयोग की वकालत करना।
- **बिग डेटा क्या है?**
  - **यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग डेटा के बड़े और जटिल सेटों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिन्हें पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके प्रबंधित और विश्लेषण करना कठिन होता है।**
  - संगठन प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करने, ग्राहक-केंद्रित उत्पाद बनाने और रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करते हैं।

स्रोत: [PIB - India Joins the UN Committee]

त्रिपुरा का नया राज्य प्रतीक

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने त्रिपुरा के नए राज्य प्रतीक को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इसमें त्रिपुरा के मानचित्र के मध्य में केसरिया रंग के एक वृत्त में राष्ट्रीय प्रतीक अंकित है, जिसके नीचे त्रिपुरा सरकार लिखा है।
- **भारत के राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007 के नियम 4(2) के** अंतर्गत अनुमोदन दिया गया।
- नियम 4(2) के अनुसार, जब कोई राज्य सरकार अपने राज्य के प्रतीक चिन्ह या उसके किसी भाग को शामिल करने का प्रस्ताव रखती है। यह केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद ऐसा करेगा और डिजाइन और लेआउट को केंद्र सरकार से अनुमोदित करवाएगा।

स्रोत: [The Hindu - New State emblem for Tripura sparks row]

सरकारी खरीद में 2017 मेक-इन-इंडिया नियमों को लागू करने में चुनौतियाँ

- एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2017 में जारी किए गए 10 में से 4 सरकारी टेंडर मेक इन इंडिया नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं।
- **प्रमुख प्रावधान मेक इन इंडिया नियम 2017 के अनुसार:**
  - **स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से** न्यूनतम **स्थानीय सामग्री** (घरेलू स्तर पर निर्मित घटकों का प्रतिशत) के साथ सामान और सेवाएं प्राप्त करनी होंगी:
    - **50% से अधिक स्थानीय सामग्री**: प्राथमिकता दी जाएगी।
    - **20-50% स्थानीय सामग्री**: यदि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उपलब्ध न हो तो इस पर विचार किया जाता है।
    - **20% से कम स्थानीय सामग्री**: केवल असाधारण मामलों में ही अनुमति दी जाएगी, जैसे वैश्विक निविदाएं।
- **गैर-अनुपालन की सीमा:** अक्टूबर 2021 और फरवरी 2023 के बीच:
    - **1,750 उच्च मूल्य वाली निविदाओं की** जांच की गई, जिनकी कीमत **53,355 करोड़ रुपये थी**।
    - **936 निविदाएं (53%)** गैर-अनुपालन वाली थीं।
- **कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
  - **घरेलू उत्पादों का विरोध**: विभागों का तर्क है कि विदेशी ब्रांड बेहतर गुणवत्ता या लागत-दक्षता प्रदान करते हैं। **उदाहरण के लिए** CPWD ने परियोजनाओं के लिए स्थानीय रूप से निर्मित लिफ्टों के साथ मुद्दों को उजागर किया।
  - **आपूर्ति पक्ष की बाधाएं**: घरेलू आपूर्तिकर्ता कभी-कभी तकनीकी आवश्यकताओं या मांग को पूरा करने में विफल हो जाते हैं।
  - **जवाबदेही का अभाव:** मंत्रालय अक्सर चिन्हित उल्लंघनों को संबोधित करने में देरी करते हैं या उनसे बचते हैं।

स्रोत: [Indian Express - Lifts to computers]

संपादकीय सारांश

विदेश मंत्रालय में आवश्यक सुधार

संदर्भ

भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को अपनी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक मजबूत विदेश मंत्रालय की आवश्यकता है।

विदेश मंत्रालय (MEA) की उपलब्धियां

- **G-20 अध्यक्षता में नेतृत्व:** भारत ने G-20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की, समावेशी विकास, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा दिया तथा स्वयं को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में स्थापित किया।
- **विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता:** विदेश मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को तटस्थता के साथ संभाला, रूस और पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित किया और साथ ही भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा की।
- **कोविड-19 के दौरान वैक्सीन कूटनीति:** "वैक्सीन मैत्री" पहल के माध्यम से, भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य और एकजुटता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए 100 से अधिक देशों को टीके की आपूर्ति की।
- **वैश्विक दक्षिण का समर्थन**:
    - भारत ने बहुपक्षीय मंचों पर विकासशील देशों की चिंताओं को उठाया, जिससे वैश्विक दक्षिण देशों के बीच उसकी नेतृत्वकारी स्थिति मजबूत हुई।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया:** अमेरिका, यूरोपीय संघ और आसियान जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को बढ़ाया गया, तथा क्वाड, आई2यू2 और एससीओ सदस्यता जैसे सहयोग ढांचे की शुरुआत की गई।
- **राजनयिक उपस्थिति का विस्तार:** अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में नए मिशन खोले गए, जिससे भारत की राजनयिक उपस्थिति और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के साथ जुड़ाव का विस्तार हुआ।
- **प्रवासी भारतीयों के साथ सहभागिता:** प्रवासी भारतीय दिवस जैसी पहलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों के लिए बेहतर सेवाएं तथा ऑपरेशन गंगा (यूक्रेन निकासी) जैसी आपात स्थितियों के दौरान विदेशों में भारतीयों के लिए बेहतर सहायता।
- **आर्थिक कूटनीति:** भारत-यूएई सीईपीए और भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए जैसे व्यापार समझौतों पर बातचीत की गई, जिससे आर्थिक संबंधों और बाजार पहुंच को बढ़ावा मिला।
- **संकट प्रतिक्रिया और निकासी:** वैश्विक संकटों के दौरान कुशल निकासी प्रयास, जिसमें राहत (यमन), देवी शक्ति (अफगानिस्तान) और गंगा (यूक्रेन) जैसे ऑपरेशन शामिल हैं।
- **विदेश नीति में नवाचार:** उभरती चुनौतियों से निपटने और वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाने के लिए नीति नियोजन एवं अनुसंधान तथा समकालीन चीन अध्ययन केंद्र जैसे विशेष प्रभागों की स्थापना।

विदेश मंत्रालय के समक्ष चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त स्टाफिंग**: विदेश मंत्रालय में लगभग 850 भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं, जो अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अपर्याप्त है, जहाँ 14,500 अधिकारी हैं। वर्तमान भर्ती दर का मतलब है कि 1,500 अधिकारियों के इष्टतम कार्यबल तक पहुँचने में दशकों लग सकते हैं।
- **खंडित संरचना:** विदेश मंत्रालय का आंतरिक संगठन अत्यधिक खंडित है, जिसमें कई छोटे प्रभाग समान क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अकुशलता और निरीक्षण संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- **सहायता में असमानताएं:** विदेश में कार्यरत अधिकारियों को पर्याप्त सहायता मिलती है, जबकि दिल्ली में कार्यरत अधिकारियों को अपर्याप्त आवास और सीमित वित्तीय प्रोत्साहन का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू स्तर पर नियुक्तियां कम आकर्षक हो जाती हैं।
- **सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ की भूमिकाओं में संतुलन:** घूर्णी नियुक्ति प्रणाली भाषा प्रशिक्षण और विशेषज्ञ विशेषज्ञता को कमजोर करती है, जो प्रभावी कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **तकनीकी क्षमता**: चूंकि प्रौद्योगिकी विदेश नीति का अभिन्न अंग बन गई है, इसलिए विदेश मंत्रालय के पास साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त डोमेन विशेषज्ञों का अभाव है।

आगे की राह

- **भर्ती में वृद्धि:** विदेश मंत्रालय को अन्य सरकारी सेवाओं से पार्श्विक भर्ती पर विचार करना चाहिए तथा अपने कार्यबल को बढ़ाने के लिए विशेष भूमिकाओं के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करना चाहिए।
- **आंतरिक संरचना का पुनर्गठन:** विदेश मंत्रालय के भीतर विभागों को समेकित करने से विदेशी संबंधों के प्रबंधन में समन्वय और दक्षता में सुधार हो सकता है।
- **घरेलू सहायता में वृद्धि:** भारत में अधिकारियों के लिए आवास, चिकित्सा कवरेज और वित्तीय प्रोत्साहन में सुधार से मनोबल और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।
- **भाषा और विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना**: दूतावासों में भाषा-प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति और विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने से कूटनीतिक वार्ता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **तकनीकी विशेषज्ञता में निवेश करना:** डोमेन विशेषज्ञों को नियुक्त करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि विदेश मंत्रालय विदेश नीति में आधुनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके।

स्रोत: **The Hindu: The reforms needed in the MEA**

कुलपति चयन: मसौदा यूजीसी

संदर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के उद्देश्यों के अनुरूप, "विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय" पर मसौदा नियम पेश किए।
- इन विनियमों का उद्देश्य कुलपति (VC) चयन प्रक्रिया में अस्पष्टता को दूर करना, गैर-शैक्षणिक लोगों के लिए पद खोलना और उच्च शिक्षा के मानकों में सुधार करना है।

कुलपति (Vice-Chancellor-VC) की भूमिका -

- **शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व:** विश्वविद्यालय परिषद, संकाय बोर्ड और वित्त समिति जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय निकायों की अध्यक्षता करता है।
    - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है।
    - विश्वविद्यालय के मिशन को पूरा करने के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार सुनिश्चित करता है।
- **मुख्य अधिदेश:** ज्ञान सृजन, जैसा कि "विश्वविद्यालय" शब्द में सन्निहित है।
    - जैसा कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति पीटर मैथिसन ने कहा, विश्वविद्यालयों को "ज्ञान सृजन, यथास्थिति पर सवाल उठाने और अनुसंधान एवं शिक्षा के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने" पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

कुलपति के लिए वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया

- **2018 में स्थापित यूजीसी नियमों के तहत, कुलपति पद के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक खोज-सह-चयन समिति जिम्मेदार है।**
- इस समिति में सामान्यतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं तथा इसका कार्य सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन के माध्यम से 3-5 उम्मीदवारों की सिफारिश करना होता है।
- इसके बाद चांसलर इस सूची में से कुलपति की नियुक्ति करते हैं।
- **राज्य विश्वविद्यालय:** राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के लिए, खोज-चयन समिति के एक सदस्य को यूजीसी अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, जबकि अन्य सदस्यों का निर्धारण राज्य के कानून द्वारा किया जाता है।
    - **उदाहरण**: केरल विश्वविद्यालय अधिनियम 1974 के अनुसार, कुलपति की नियुक्ति चांसलर द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सर्वसम्मत सिफारिश के आधार पर की जाती है।

2025 के विनियमों में प्रस्तावित परिवर्तन

नये मसौदा विनियमों में कई प्रमुख परिवर्तन शामिल हैं:

- **खोज समिति की संरचना:** राज्यपाल - चांसलर या विजिटर अब सीधे तौर पर एक प्रतिनिधि को नामित करेंगे, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी।
    - यूजीसी का नामित सदस्य समिति का हिस्सा बना रहेगा।
    - तीसरे सदस्य को विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय (जैसे, प्रबंधन परिषद या सीनेट) द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें राजनीतिक रूप से संबद्ध प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
    - इस बदलाव से केंद्रीय नामांकितों को चयन प्रक्रिया में बहुमत मिल जाता है।
- **विस्तारित पात्रता:** नए नियम सार्वजनिक प्रशासन, उद्योग और सार्वजनिक नीति जैसे विविध क्षेत्रों के उम्मीदवारों को कुलपति पदों के लिए पात्र बनाते हैं, बशर्ते उनके पास महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान और कम से कम दस वर्ष का वरिष्ठ स्तर का अनुभव हो।
- **कार्यकाल:** कुलपति **पांच वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु** तक कार्य करेंगे।

संघवाद पर राज्यों की चिंताएँ

कई राज्यों ने इन प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, उनका तर्क है कि ये राज्य विश्वविद्यालयों पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाकर संघवाद को कमजोर करते हैं:

- **केरल**: केरल विधानसभा ने राज्यपाल के स्थान पर प्रख्यात शिक्षाविदों को चांसलर बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित है।
    - तनाव तब बढ़ गया जब पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया कि उन्हें कुलपति नियुक्तियों के संबंध में अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था।
- **पश्चिम बंगाल**: राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दे रही है, जिसमें राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा की गई एकतरफा नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था।
    - पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को चांसलर नियुक्त करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है।
- **कर्नाटक**: दिसंबर 2024 में कर्नाटक विधानसभा ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया। अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के लिए भी इसी तरह का कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।
- **महाराष्ट्र**: उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान पारित एक विधेयक का उद्देश्य कुलपति नियुक्तियों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करना था, लेकिन बाद में नए नेतृत्व में इसे वापस ले लिया गया।
- **तमिलनाडु**: डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार ने कुलपति नियुक्तियों पर राज्य नियंत्रण की अनुमति देने वाले विधेयक पारित किए; हालाँकि, इन्हें राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली है।

VC चयन में वैश्विक प्रथाएँ

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** खोज समितियों में प्रोवोस्ट, डीन, संकाय प्रतिनिधि, कर्मचारी, छात्र (कभी-कभी) और ट्रस्टी/बोर्ड सदस्य शामिल होते हैं।
    - यूजीसी जैसी कोई नियामक संस्था मानकों की निगरानी नहीं करती; प्रक्रिया समावेशी और पारदर्शी है।
    - **उदाहरण**: एम.आई.टी. और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान मानदंड बनाने, हितधारकों से परामर्श करने और साक्षात्कार आयोजित करने के लिए न्यासी बोर्ड का उपयोग करते हैं।
- **यूनाइटेड किंगडम:** खोज समितियों में विश्वविद्यालय के गवर्नर/ट्रस्टी, वरिष्ठ नेता, संकाय प्रतिनिधि और बाहरी सलाहकार शामिल होते हैं।
    - संकाय और छात्र की भागीदारी समावेशिता सुनिश्चित करती है।

मसौदा विनियमों में दूरदर्शी प्रावधान

- **सहायक प्रोफेसरों के लिए संशोधित प्रवेश-स्तर योग्यताएं:** तकनीकी संस्थानों में सहायक प्रोफेसर पदों के लिए अब यूजीसी-नेट अनिवार्य नहीं है।
    - **एमई/एमटेक डिग्री** और कम से कम **55% अंक** वाले उम्मीदवार पात्र हैं।
    - **अनुबंध शिक्षक नियुक्तियों पर लगी रोक हटाना**
    - यह विश्वविद्यालयों में संकाय की महत्वपूर्ण कमी को दूर करने के लिए एनईपी के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- **नये कुलपति की नियुक्तियों के लिए चुनौतियां और विचार:** उद्योग या सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों में विश्वविद्यालय के लोकाचार की जानकारी का अभाव हो सकता है।
    - हालाँकि, वे निम्नलिखित तरीके से योगदान दे सकते हैं:
        - व्यावसायिक दृष्टिकोण लाना।
        - वित्तीय रूप से वंचित विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिए निधियों का सृजन करना।

आज VC के लिए प्रमुख चुनौतियाँ

- **अनुसंधान मानकों को बढ़ाना:** अनुसंधान आउटपुट की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाना।
- **अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहित करके भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक स्थिति में सुधार करना।

सुधार की आवश्यकता

- **विखंडित वित्तपोषण और संसाधन की कमी:** भारतीय विश्वविद्यालय अपर्याप्त वित्तपोषण से ग्रस्त हैं, जिससे वैश्विक मानकों को पूरा करने की उनकी क्षमता बाधित हो रही है।
- **वैश्विक विश्वविद्यालयों से सबक:** एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान पेशेवर नेतृत्व और मजबूत वित्तपोषण मॉडल के कारण फलते-फूलते हैं।

स्रोत: Indian Express: The Leaders Our Universities Need
Indian Express: What are UGC's new draft rules on Vice-Chancellor appointments and why are states upset?

विस्तृत कवरेज

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा

संदर्भ

केंद्र सरकार ने DPDP अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

मसौदा नियमों के प्रमुख प्रावधान

- **डेटा फ़िड्युशरीज़ की ज़िम्मेदारियाँ:**
  - **डेटा फिड्युसरी:** डेटा फिड्युसरी कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संगठन है जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधन को निर्धारित करता है।
    - वे व्यवसाय, सरकारी निकाय या यहां तक कि व्यक्ति भी हो सकते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए डेटा एकत्रित, संग्रहीत या उपयोग करते हैं।
  - **महत्वपूर्ण डेटा फिड्युशरी (SDF)** वे हैं जो उच्च मात्रा या संवेदनशील डेटा का प्रसंस्करण करते हैं जो राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
  - प्रत्ययी को उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के बारे में सूचित करना चाहिए:
    - एकत्रित किये गये डेटा का प्रकार
    - डेटा संग्रहण का उद्देश्य
    - उपयोगकर्ताओं को सूचित एवं विशिष्ट सहमति प्रदान करने के लिए आवश्यक विवरण।
  - **डेटा संरक्षण:** डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए न्यासियों को तकनीकी और परिचालन सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा।
    - किसी भी उल्लंघन की सूचना 72 घंटों के भीतर भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (अभी तक स्थापित नहीं) को दी जानी चाहिए।
- **सहमति प्रबंधक:** सहमति प्रबंधक निर्दिष्ट प्रारूप में उपयोगकर्ता की सहमति एकत्रित करने में न्यासियों की सहायता करेंगे।
- **सरकारी छूट:** सरकार और उसके संस्थान सब्सिडी और लाभ प्रदान करने के लिए डेटा एकत्र कर सकते हैं।
- **डेटा प्रतिधारण और विलोपन:**
  - यदि उपयोगकर्ता लंबे समय तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या गेमिंग जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनका डेटा हटा दिया जाना चाहिए।
  - हटाने से पहले 48 घंटे की अग्रिम सूचना दी जाएगी।
- **बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति:**
  - **सत्यापन आवश्यक:** सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को बच्चों द्वारा अकाउंट बनाने से पहले उनके माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी।
  - **पहचान सत्यापन:** माता-पिता की आयु और पहचान सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण के माध्यम से सत्यापित की जानी चाहिए।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियमों के मसौदे के लाभ

- **सिद्धांत-आधारित रूपरेखा**: नियम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो नोटिस और सहमति के लिए सरलता और स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली "सहमति थकान" को कम किया जा सके।

- **लचीलापन और स्वायत्तता**: यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) जैसे निर्धारित विनियमों के विपरीत, DPDP नियम उपयोगकर्ता अधिकारों को सक्षम करने के लिए विशिष्ट उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन या तरीकों को निर्देशित न करके व्यावसायिक स्वायत्तता और नवाचार का सम्मान करते हैं।
- **क्षेत्र-विशिष्ट छूट**: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बाल देखभाल जैसे उद्योगों को ट्रैकिंग और निगरानी जैसी गतिविधियों के लिए कठोर अभिभावकीय सहमति आवश्यकताओं से छूट दी गई है, बशर्ते कि सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए।
- **परिणामोन्मुख दृष्टिकोण**: विनियमों की व्यावहारिक उपयोगिता पर जोर दिया जाता है, जिससे व्यवसायों के लिए अनावश्यक जटिलताओं के बिना उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।
- **नियामकीय बोझ में कमी**: इससे उन कठोर विनियमनों से बचा जा सकेगा जो छोटे उद्यमों को प्रभावित कर सकते हैं, तथा इससे अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।

यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (**GDPR**), जिसे निजता विशेषज्ञों द्वारा एक समय स्वर्ण मानक के रूप में सराहा गया था, अब अनपेक्षित परिणामों के कारण आलोचना का सामना कर रहा है - यह अच्छी तरह से संसाधन संपन्न निगमों का पक्ष लेता है, छोटे उद्यमों को दबाता है, और इंटरनेट में जनता के विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में विफल रहता है।

तथ्य

- **के.एस. पुट्टस्वामी मामले** में "**निजता को मौलिक अधिकार" बताया**

DPDP नियमों की आवश्यकता क्यों है?

- **डेटा उल्लंघन की बढ़ती लागत**: भारत में डेटा उल्लंघन से व्यवसायों को 2024 में औसतन ₹19.5 करोड़ ($2.35 मिलियन) का नुकसान होगा, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठा और निरंतरता की रक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है।
- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ**: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अभिसरण ने अभूतपूर्व स्तर पर डेटा संग्रहण को सक्षम किया है, जिससे पारंपरिक सहमति तंत्र से परे निजता ढांचे की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
- **नवाचार के साथ निजता का संतुलन**: आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार को बाधित किए बिना नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए, भारत को एक लचीले और अनुकूल डेटा संरक्षण ढांचे की आवश्यकता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण**: एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया ढांचा नवाचार और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उद्योग-विशिष्ट समायोजन को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
- **स्थानीय अनुकूलन के साथ वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास**: DPDP नियमों का उद्देश्य विनियमन के लिए लचीलेपन, सरलता और उद्योग-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देकर इन मुद्दों का समाधान करना है।

डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों के मसौदे से संबंधित चिंताएँ

- **कार्यकारी अतिक्रमण:** नियम सरकार को "जैसा निर्धारित किया जा सकता है" जैसे अस्पष्ट वाक्यांशों के तहत व्यापक विवेक प्रदान करते हैं, जिससे अनियंत्रित प्राधिकार के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।
    - संवेदनशील व्यक्तिगत या व्यावसायिक डेटा तक सरकार की पहुंच के संबंध में नियम 22 की अस्पष्ट भाषा से निगरानी, व्यापार निजता उल्लंघन और अनधिकृत पक्षों द्वारा डेटा के दुरुपयोग का जोखिम पैदा होता है।
- **परामर्श में पारदर्शिता का अभाव:** मसौदा नियमों पर परामर्श प्रक्रिया MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुतियाँ तक ही सीमित है, जिससे व्यापक भागीदारी सीमित हो रही है।

  - सरकारी प्रस्तुतियों को प्रत्ययी माना जाता है, जिससे सार्वजनिक जांच और प्रति-टिप्पणियों पर रोक लग जाती है, जो सार्वजनिक परामर्श के बजाय कॉर्पोरेट परामर्श जैसा प्रतीत होता है।
- **अनुपालन एवं प्रवर्तन में अस्पष्टताएं:**
  - **सहमति नोटिस**: नियमों में "स्पष्ट और सरल भाषा" की आवश्यकता होती है, लेकिन इन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे भारत की भाषाई रूप से विविध आबादी में अनुपालन और व्याख्या में असंगति पैदा होती है।
  - **डेटा उल्लंघन अधिसूचनाएं**: डेटा उल्लंघनों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में व्यक्ति असुरक्षित हो जाता है।
  - डेटा श्रेणियों (जैसे, मेटाडेटा, अनुमानित डेटा) के प्रकटीकरण के लिए अस्पष्ट आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप अति-सामान्य या अति-सरलीकृत सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण विवरण छूट सकते हैं।
- **कमजोर संस्थागत संरचना:** नियुक्तियों और परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर निर्भरता के कारण डीपीबी में स्वायत्तता का अभाव है।
- **सुरक्षा उपायों के बिना छूट:** नियम 5 सब्सिडी (जैसे, आधार से जुड़े कल्याण) के लिए डेटा प्रोसेसिंग को सहमति आवश्यकताओं से छूट देता है, जिससे जवाबदेही और दुरुपयोग के बारे में सवाल उठते हैं।
  - राशन से संबंधित डेटा सुधार जैसे मुद्दों के निवारण की मांग करने वाले सामुदायिक संगठनों और व्यक्तियों को समय पर समाधान प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।
- **स्वतंत्र नियामक का अभाव:** अधिनियम और मसौदा नियम एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना नहीं करते हैं, जिससे केंद्र सरकार के भीतर शक्तियों का समेकन होता है, जो डेटा संरक्षण प्रवर्तन की विश्वसनीयता को कमजोर करता है।
  - स्वतंत्र विनियामक संरचनाओं के लिए लंबे समय से की गई सिफारिशों, जैसे कि 2006 के योजना आयोग के परामर्श पत्र में की गई सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया है।
- **बच्चों के डेटा के लिए अपर्याप्त सुरक्षा:** नियमों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है, लेकिन माता-पिता की पहचान या बच्चे के साथ संबंध को सत्यापित करने के लिए विशिष्ट तंत्र का अभाव है।
  - वे व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहते हैं, जैसे कि बच्चों द्वारा अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलना या भारतीय घरों में साझा डिवाइस का उपयोग करना, जिससे कार्यान्वयन संबंधी प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं।
- **व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रभाव:** इस ढांचे में व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधानों का अभाव है, जैसे कि जब उपयोगकर्ता डेटा प्रसंस्करण के बारे में जानकारी का अनुरोध करते हैं या रिकॉर्ड में सुधार चाहते हैं तो प्रक्रियात्मक अखंडता सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- **व्यापक नियम-निर्माण:** उपयोगकर्ता अधिकारों को लागू करने, बच्चों के डेटा की सुरक्षा करने और डेटा उल्लंघनों से निपटने के लिए विस्तृत, कार्यान्वयन योग्य और व्यावहारिक दिशानिर्देश विकसित करना।
- **बच्चों के डेटा संरक्षण के लिए मजबूत ढांचा:** झूठे आयु संबंधी दावों की पहचान करने तथा भारतीय घरों में साझा डिवाइस के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आयु-सत्यापन उपकरण और विधियां विकसित करना।
- **स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण:** अधिनियम की निष्पक्ष निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रभाव से मुक्त एक स्वतंत्र डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
- **उपयोगकर्ता-केंद्रित कार्यान्वयन दिशानिर्देश:** व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रक्रियाएं बनाएं, जैसे डेटा सुधार या विलोपन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।

- **कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट समयसीमा:** DPDP अधिनियम और संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध समयसीमा प्रकाशित करें, जिससे व्यवसायों और डेटा प्रोसेसरों को अनुपालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- **कमजोर समूहों के लिए डेटा संरक्षण पर ध्यान देना:** इन समूहों के बीच डेटा अधिकारों और निजता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता शिक्षा अभियान शामिल करें।
- **लघु उद्यमों के लिए समर्थन**: यह सुनिश्चित करना कि नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नियम लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए अनुकूल बने रहें।
- **समावेशी सार्वजनिक परामर्श**: लचीलेपन और व्यावहारिकता के सिद्धांतों को कमजोर किए बिना नियमों को परिष्कृत करने और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए उद्योग हितधारकों, नागरिक समाज और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बातचीत जारी रखना।

स्रोत: **The Hindu: India's data protection rules need some fine-tuning**
The Hindu: Draft digital data protection rules and authoritarianism
The Hindu: How the draft rules for implementing data protection falls short